बिहार सरकार

<u>सहकारिता विभाग</u>

|| आदेश ||

पटना, दिनांक 09/02/26

संख्या–08 / नि0को0(रा0)विभागीय–707 / 2021 807 / जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–912 दिनांक–31.03.2021 द्वारा श्री कामेश्वर ठाकुर, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा स्व0 रघुवंश शर्मा, तत्कालीन नाजीर अंचल कार्यालय, पालीगंज द्वारा बरती गयी अनियमितता की जाँच के क्रम में त्रुटिपूर्ण जाँच प्रतिवेदन में आरोपी को गबन के आरोप से मुक्त करने तथा पुनः जाँच के क्रम में वित्तीय अनियमितता को सही पाने के कारण श्री ठाकुर के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही, असंवेदनशीलता एवं आचार नियमावली के विरूद्ध शिथिलता बरतने के आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया था। उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–1670 दिनांक–02.07.2021 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की गयी एवं श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में निर्णय के क्रम में जिला पदाधिकारी, पटना से मंतव्य की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय पत्रांक–3626 दिनांक–13.12.2025 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री कामेश्वर ठाकुर तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना एवं जिला लेखा पदाधिकारी, पटना के द्वारा तत्कालीन नाजीर श्री रघुवंश शर्मा के कार्यरत अवधि का लेखा जाँच अधूरा एवं अपूर्ण रूप से उपलब्ध कराये गये कागजातों / साक्ष्यों के आधार पर की गयी है जिसके आधार पर सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया। इस प्रकार श्री ठाकुर एवं जिला लेखा पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपूर्ण एवं अधूरा कागजात के आधार पर प्रतिवेदन दिया गया था।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कामेश्वर ठाकुर, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना सम्प्रति संयुक्त निबंधक (अंके0), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को भविष्य में अपने दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन करने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कामेश्वर ठाकुर, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना सम्प्रति संयुक्त निबंधक (अंके0), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित की जाती है।

ह0 / –
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक ....
08 / नि0के0(रा0)विभागीय–707 / 2021

प्रतिलिपिः–
1. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री कामेश्वर ठाकुर, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना सम्प्रति संयुक्त निबंधक (अंके0), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. उप सचिव, प्रशाखा–1, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–3626 दिनांक–13.12.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ....807........ / पटना, दिनांक ....09/02/26........

08 / नि0के0(रा0)विभागीय–707 / 2021

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0प्रबंधक, सहकारिता विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/02/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

1
(1 ह0)
09-02-2026

F:\section-8\2025\Ved prakash\Letter\Order- kameshwar thakur-JR.doc